न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–754/2026

मोहन महतो वगैरह बनाम् बिहार सरकार

जंदाहा थाना कांड संख्या–214/2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 3(5), 103(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

26-03-2026 जंदाहा थाना कांड संख्या–214/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 3(5), 103(1), 109(1) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **मोहन महतो उम्र–35 वर्ष पेसर–रत्नेश्वर महतो, सोहन महतो उम्र–32 वर्ष पेसर–रत्नेश्वर महतो, अजय महतो उर्फ अजय कुमार महतो उम्र–36 वर्ष पेसर–पलटु महतो, उमेश महतो उम्र–35 वर्ष पेसर–कारी महतो एवं दीपक महतो उर्फ दीपक कुमार उम्र–28 वर्ष पेसर–चुल्हाई महतो** सभी साकिन–अजीजपुर चांदे, थाना–महिसौर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्रीमती अंजुवाला सिन्हा** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** एवं सूचक के तरफ से विद्वान अधिवक्ता **श्री अमरेश कुमार सिंह** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–19.05.2025 को शाम करीब 07.00 बजे सूचक का लड़का शंकर महतो के मनोज महतो जो रिश्ते में मामा लगते हैं। सूचक के लड़का को एक लाख पचास हजार रूपया उसके भतीजी के शादी के लिए दिया था जिसे लेकर उसका लड़का रूपया लेकर ग्लैम्बर गाड़ी से बहुआरा के रोस्ते होते हुए थैंमा अपने घर आ रहा था। रास्ते में कालू महतो, रवि महतो, रोहित महतो एवं पांच अज्ञात लोग मुसापुर चौक और रॉबियल चौक के बीच में गाड़ी रोक के लाठी, डंडा एवं ईंट से मारना शुरू कर दिये, जिससे सूचक का लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके पास जो एक लाख पचास हजार रूपया था उसे छीन लिये और गाड़ी भी ले लिये और सूचक के लड़का को सड़क के किनारे फेंक दिये। सूचक का जानकारी मिली तो वह अपने परिजन के साथ वहां पहुंचे तो देख कि वहां के स्थानीय लोग उपचार के लिए रॉबियल चौक पर प्राथमिक चिकित्सा करवा रहे हैं। उसके बाद सूचक उसे मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पीटल में ईलाज करवाया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–754 / 2026

मोहन महतो वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

26.03.2026 तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम मृतक शंकर कुमार महतो के भाई पंकज कुमार महतो के फर्दबयान में आया है जिसमें उसने प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए कहा है कि उसके भाई शंकर कुमार महतो की मृत्यु ईलाज के दौरान हो गई जो कांड दैनिकी की कंडिका 24 में अंकित है। आवेदकगण पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र को गाड़ी रोककर लाठी, डंडा एवं ईंट से मारकर बुरी तरह जख्मी करने एवं उसके पास जो एक लाख पचास हजार रूपया था, उसे छीनने एवं उसके गाड़ी को भी ले लेकर उसे सड़क के किनारे फेंक देने आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 16 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उसने कहा है कि ईलाज के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है और उक्त बात का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 17 एवं 30 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है जिसमें भी आवेदक का नाम लिया गया है। चन्देश्वर महतो ने कांड दैनिकी की कंडिका 17 में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि जब वह अपने घर लौट रहा था उसने अभियुक्तगण को मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा और जब वह मृतक शंकर महतो को बचाने गया तो अभियुक्तगण इन्हें भी मारने के लिए दौड़े जिस कारण वह अपनी साईकिल से अपने घ्ज्ञर आ गये। कांड दैनिकी की कंडिका 30 में साक्षी पंकज महतो ने कथन किया है कि अस्पताल में दो दिन बाद मृतक शंकर महतो को होश आया तब मृतक ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। कांड दैनिकी की कंडिका 31 में साक्षी उपेन्द्र महतो का बयान अंकित है जिसमें उसने कहा है कि शंकर महतो के साथ आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण मिलकर मारपीट किये थे और उसे मारते–मारते रोड के नीचे ले गये और पुनः मारते–मारते रोड पर लेकर आ गये। कांड दैनिकी की कंडिका 26 में मृतक शंकर कुमार महतो का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिमसें मृत्यु का कारण अस्पष्ट है। कांड दैनिकी की कंडिका 40 में मृतक शंकर महतो का

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–754 / 2026

मोहन महतो वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

26.03.2026 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें चिकित्सक द्वारा मृतक के सर पर जख्म एवं उसके शरीर के अन्य भागों पर तेज एवं कठोर वस्तु से कारित जख्म पाया गया है और मृतक की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई है। मामला हत्या जैसी गंभीर प्रकृति का है और आवेदकगण के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता एवं आवेदकगण के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official